उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग पाँच राज्यस्तरीय बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पास होने का प्रतिशत 2007–08 में 5% से अधिक है और 6 बोर्ड ऐसे हैं जहाँ अन्तर 10 बिन्दुओं से अधिक है। यदि एक परीक्षा विश्वसनीय है तो एक से अगले वर्ष के परीक्षा परिणाम से बहुत कम अन्तर होगा क्योंकि कुछ सालों के अन्तर से छात्र की योग्यताओं में भी बहुत अन्तर नहीं आता है। परन्तु भारतीय परीक्षाओं के परिणामों की अधिक भिन्नता परीक्षाओं में तकनीकी विश्वसनीयता के अभाव को दर्शाती है व इसीलिए राष्ट्रीय या राज्य स्तर छात्र की प्रतिभा की परख का कोई सर्वमान्य पैमाना भी नहीं माना जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाएँ (STATE AND CENTRAL GOVERNMENT PLAN FOR UNIVERSALISATION OF SECONDARY EDUCATION)

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)—वर्ष 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच व वृद्धि करने तथा इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) शिक्षा के न्यूनतम स्तर को कक्षा 9 तक और सार्वत्रिक पहुँच को माध्यमिक शिक्षा तक उठाना।

(2) विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पर ध्यान दिये जाने के साथ अच्छी गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना।

(3) उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों तक उन्नयन करना।

(4) मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण।

(5) अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना और विद्यालय भवनों और अध्यापकों के आवास-गृहों की प्रमुख मरम्मत का प्रावधान करना।

ग्यारहवीं योजना के तीसरे वर्ष के दौरान भी आर. एम. एस. ए. के अन्तर्गत अच्छी प्रगति हुई थी।

2. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास निर्मित करने एवं चलाने की योजना (Scheme for Building Girls Hostels)—वित्तीय वर्ष 2008-09 में शुरू की गई यह योजना पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 3500 ब्लॉकों में 100 सीट वाले बालिका छात्रावास स्थापित किये जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को माध्यमिक स्कूल में बनाये रखना है ताकि वे स्कूलों की दूरी अपनी वित्तीय स्थिति अथवा अन्य सामाजिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई जारी रखने से वंचित न रह जाएं। इस योजना में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय तथा बी. पी. एल. परिवारों की 14-18 आयुवर्ग की ... सकते हैं।

3. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना (Encouraging Science Education in Schools)—विज्ञान शिक्षा को सुधारने के लिए 1986 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे शुरू किया गया। योजना के तहत शिक्षकों को भी गणित एवं विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख भाग स्कूली स्तर पर छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड में भागीदारी करवाना है।

4. माध्यमिक स्तर पर अशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS : Integrated Education for Disabled at Secondary Stage)—इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई। इस योजना के अन्तर्गत केवल माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई करने वाले बच्चे शामिल किये जाते है जो अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अन्तर्गत परिभाषित एक या अधिक अशक्तता से ग्रस्त है और उनकी आयु 14 से 18 वर्ष के ऊपर है। यह पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित योजना है। योजना के लिए वर्ष 2011-12 के बजट में 100 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

5. मॉडल स्कूल (Modal School)—पूरे देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में राज्य सरकारों के तहत उत्कृष्टता बैंचमार्क के रूप में कार्य करने के लिए 2500 उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों को स्थापित करने की नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है—

(i) स्थान (Place)—इन 3500 मॉडल विद्यालयों को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई. बी. बी.) में स्थापित किया जायेगा।

(ii) जमीन (Land)—इन विद्यालयों के लिए जमीन को राज्य सरकारें अभिनिर्धारित करेंगी और निःशुल्क प्रदान करेंगी।

(iii) शिक्षा का माध्यम (Type of Education)—राज्य सरकारें शिक्षा के माध्यम का निर्णय लेंगी तथापि अंग्रेजी के शिक्षण और बोलचाल की अंग्रेजी ,पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iv) कक्षाएँ (Classes)—इन विद्यालयों में कक्षा VI से XII तक तथा IX से XII तक की कक्षायें होंगी।

(v) प्रबन्धन (Management)—इन विद्यालयों को राज्य सरकार की समितियाँ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों की तरह संचालित करेंगी।

कक्षा VI से XII तक अथवा IX से XII तक की कक्षाओं वाले दो अनुभागों वाले विद्यालय की आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार की लागत का हिस्सेदारी पैटर्न 75 : 25 होगा। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए हिस्सेदारी पैटर्न 90 : 10 होगा।

6. प्लस टू स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना (Vocationalisation of Secondary Education at +2 Level)—वर्ष 1988 से यह योजना शुरू की गई, जिसे वर्ष 1992-93 में कुछ संशोधन करके लागू किया गया। अब तक इस योजना ने लगभग 10,000 स्कूलों में 21,000 अनुभागों के रूप में विशाल अवसंरचना का सृजन किया है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 765 करोड़ रुपये अनुदान राशि जारी की गयी है तथा प्लस टू पर 10 लाख छात्रों को व्यवसायीकरण शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011-12 में 25 करोड़ रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

7. छात्राओं के लिए हॉस्टिल सुविधाओं का विकास—सन् 1992 की कार्य योजना में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं का दाखिला बढ़ाने के लिये विशेष योजना तैयार करने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के दिशा-निर्देश दिये गये थे। इन दिशा-निर्देशों तथा सिफारिशों को लागू करने

लिये आठवीं योजना में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिये बोर्डिंग तथा होस्टिल सुविधाएँ बढ़ाने की योजना शुरू की गई। इसके अन्तर्गत–

(i) फर्नीचर (इसमें बिस्तर भी शामिल है) और बर्तनों की खरीद तथा मनोरंजन की सुविधाएँ, विशेष रूप से खेलकूद, वाचनालय सामग्री तथा पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये 1500 रुपये प्रति बालिका की दर से एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

(ii) छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के भोजन तथा रसोइये व वार्डन के वेतन के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बालिका की दर से सहायता दी जाती है। बशर्ते उस छात्रावास में मान्यता प्राप्त स्कूलों की नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की कम-से-कम 25 छात्राएँ रहती हों लेकिन अधिकतम 50 छात्राओं तक ही यह सहायता उपलब्ध होगी।

8. राष्ट्रीय खुला विद्यालय (National Open School)–इस स्कूल की स्थापना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नवम्बर, 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वालों तथा नियमित कक्षाओं में जाने में असमर्थ लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना था। जुलाई, 1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक ओपन स्कूल की दिल्ली में स्थापना की थी। इस स्कूल को राष्ट्रीय ओपन स्कूल में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय ओपन स्कूल को कक्षा 1 से 12 तक पंजीकृत छात्रों की परीक्षा लेने तथा प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। यह अपने प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के द्वारा उन छात्रों को पढ़ने का मौका देता है जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं।

राष्ट्रीय ओपन स्कूल ने छः से चौदह वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों तथा वंचित छात्रों के लिये ओपन प्रारम्भिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की है। इसके निम्नांकित तीन स्तर हैं–

(अ) प्रारम्भिक,

(ब) प्राथमिक, तथा

(स) उत्तर प्राथमिक, जो मानक स्कूल की कक्षा 3, 5 तथा 8 के बराबर हैं।

इसके अतिरिक्त यह स्कूल गैर-सरकारी संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर के लिये सामग्री, मानकीकरण, प्रमाण-पत्र आदि के रूप में सहायता प्रदान करता है।

यह स्कूल माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, सामाजिक समानता तथा न्याय को बढ़ावा देना और एक ज्ञानशील समाज को बढ़ावा देना है। ग्रामीण नौजवान, बालिकाएँ और महिलाएँ, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक जैसे उपेक्षित वर्ग इसकी प्राथमिकता में शामिल हैं। यह स्कूल 1990 में करीब 40 हजार छात्रों को दाखिला देकर प्रारम्भ हुआ था। आज इसमें देश भर में 4 लाख छात्र शिक्षा ले रहे हैं। देश और विदेश में इसके 1000 अध्ययन केन्द्र हैं। ये अध्ययन केन्द्र व्यक्तिगत सहायता के द्वारा अध्ययन प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े ओपन स्कूलों में से एक है। इस स्कूल के मान्यता प्राप्त केन्द्र मध्य एशिया (दुबई, मस्कट, कुवैत तथा आबूधाबी), नेपाल (काठमाण्डू तथा भुतवाल) तथा कनाडा (वैंकूवर) में हैं। इस स्कूल का अपना एक परीक्षा बोर्ड है–'राष्ट्रीय माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक एवं व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड' जो माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक

और व्यावसायिक परीक्षाएँ लेता है। यह बोर्ड भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद के समान है। यह बोर्ड वर्ष में दो बार परीक्षा लेता है—मई तथा नवम्बर में।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, जो इस स्कूल द्वारा प्रदान किया जा रहा है, उसकी पद्धति में निम्नांकित तत्व शामिल हैं–

(i) स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री–यह सामग्री इस स्कूल के एकादमिक स्टाफ द्वारा तैयार की जाती है।

(ii) व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम–इसके अन्तर्गत कक्षाएँ लगाई जाती है और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों को परामर्श भी दिया जाता है।

(iii) श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम–छात्र इन कार्यक्रमों को मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्रों में जाकर देख तथा प्रयोग कर सकते हैं। अध्ययन केन्द्रों में अभ्यास (प्रायोगिक अध्ययन) की भी व्यवस्था होती है।

9. शैक्षिक टैक्नोलॉजी कार्यक्रम (Educational Technology Programme)–शिक्षा में व्यापक गुणात्मक सुधार लाने के लिये चौथी योजना अवधि के दौरान सन् 1972 में शैक्षिक टैक्नोलॉजी कार्यक्रम शुरू किया गया। योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण (NCERT) में शैक्षिक टैक्नोलॉजी कक्ष स्थापित करने के लिये शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की गई। इन्सैट के आगमन के साथ एन. सी. ई. आर. टी. में एक केन्द्रीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान (Central Institute of Educational Technology : CIET) और 6 राज्यों–आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान (State Institute of Educational Technology : SIET) स्थापित किये गये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक टैक्नोलॉजी योजना में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य शैक्षिक दूरदर्शन तथा श्रव्य कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं को सशक्त करना और सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में एक लाख रंगीन टेलीविजन तथा पाँच लाख रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर की सप्लाई कर सुविधाओं का विस्तार करना था। कार्यक्रम तैयार करने का कार्य केन्द्रीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान तथा सभी छः राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थानों में शुरू हो गया।

10. विज्ञान शिक्षा (Science Education)—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र ने 1987-88 में विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने की शुरुआत की, जिससे विज्ञान की शिक्षा का स्तर सुधरे तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण [illegible] को बढ़ावा मिले। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में साइंस किट उपलब्ध कराने, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने तथा अधिक उपकरण तथा सामग्री जुटाने, विज्ञान की शिक्षा के लिये जिला संसाधन केन्द्र खोलने तथा विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने के लिये राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में विज्ञान की शिक्षा में [illegible] नई परियोजनाएँ (Projects) बनाने और संसाधन सम्बन्धी मदद जुटाने के काम में [illegible] स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता दी जाती है।

इस योजना का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष स्कूल स्तर पर भारतीय छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। भारतीय छात्र अन्तर्राष्ट्रीय

गणित ओलम्पियाड में 1989 से, अन्तर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलम्पियाड में 1998 से और अन्तर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलम्पियाड में 1999 से भाग ले रहे हैं। सन् 2000 में भारतीय छात्र अन्तर्राष्ट्रीय जीव-विज्ञान ओलम्पियाड में भाग लेंगे।

11. केन्द्रीय स्कूल—केन्द्रीय विद्यालय संगठन की योजना को भारत सरकार ने 1962 में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मंजूरी दी। प्रारम्भ में विभिन्न राज्यों में 20 रेजीमेण्टल स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालयों में परिवर्तित किया गया था। 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा उन पर नियंत्रण रखना था। ये विद्यालय रक्षाकर्मियों सहित केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चों के लिये खोले गये जिनके तबादले देश भर में कहीं भी होते रहते हैं, ताकि उन्हें शिक्षा का एक समान पाठ्यक्रम सभी जगह उपलब्ध कराया जा सके। इस समय 874 केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से एक काठमाण्डू तथा एक मास्को में है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम अपनाया जाता है।

12. नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya)—नवीन राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1986) में किये गये संकल्प—गति-निर्धारक विद्यालय की स्थापना को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इनके प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

1. समानता और सामाजिक न्याय के साथ-साथ श्रेष्ठता (Excellence) के लक्ष्य को प्राप्त करना (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों के लिए आरक्षण के साथ)।

2. देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिभावान बालकों, अधिकतर ग्रामीण बालकों को साथ-साथ रहने व पढ़ने के अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

3. उनकी पूर्ण क्षमता को विकसित करना।

4. विद्यालय उन्नयन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में उत्प्रेरक का कार्य करना।

5. प्रतिभावान बच्चों की पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना उनके सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकतम सुविधाओं सहित श्रेष्ठ स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

6. त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार तीन भाषाओं में उचित योग्यता प्रदान करना।

7. अनुभव और सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिये केन्द्र के रूप में कार्य करना।

इन नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य किन्हीं सीमाओं के कारण शिक्षा से वंचित बालकों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका सन्तुलित तथा बहुआयामी विकास करना है।

नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। ये विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से सम्बन्धित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। छात्र-छात्राओं को आवास, भोजन, पुस्तकें, पाठ्य-सामग्री तथा गणवेश (Uniform) भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की जब भी बात उठती है तो सरकारी तन्त्र प्रायः पैसों के अभाव की बात उठाता है परन्तु किसी भी राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में सवाल पैसों की कमी अथवा अन्य कठिनाइयों का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और राजनैतिक इच्छा-शक्ति का होता है। इस बात में जरा भी सन्देह नहीं कि शैक्षिक सुधारों के लिए अन्य बातों के अलावा मानवीय एवं भौतिक

संसाधनों की कमी को पूरा करने अथवा उनके विस्तार के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। किन्तु दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि हमारे देश में शैक्षिक सुधारों के नाम पर सरकार की वैसी प्रतिबद्धता ही रहती है। जैसा कि देश के जाने-माने शिक्षाविद् **डॉ. अनिल सद्गोपाल** निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसंग में करते हैं—संसाधनों की कमी तो खैर पुराना बहाना है। नई आर्थिक नीति के सन् 1991 में घोषणा के बाद सकल राष्ट्रीय अनुपात के रूप में शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च में लगातार कमी आई है। संप्रग सरकार के आने के बाद भी राष्ट्रीय आय के कुल प्रतिशत के रूप में खर्च कम होता गया है और आज इसका स्तर इतना कम हो गया है कि जो बीस वर्ष पहले था, एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद का महज 3 : 5%। कमी इसके बावजूद आई है कि केन्द्र ने शिक्षा के नाम पर प्रतिशत अधिभार वसूला है और सर्वशिक्षा अभियान का लगभग 40 प्रतिशत खर्च विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से अनुदान या कर्ज के रूप में लिया है। यानि सरकार की शिक्षा में निवेश की राजनैतिक इच्छाशक्ति लगातार घटती गई है। इतिहास में झाँकें तो हमें स्पष्टतः विदित होता है कि किन्हीं-न-किन्ही कारणों से या तो विशेषज्ञों के सुझावों को तरजीह नहीं दी गई अथवा राजनीतिक पार्टियों के दाँवपेंच और भ्रष्टाचार के चलते हमारी शैक्षिक योजनाएँ वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकीं। इसी सन्दर्भ में सबसे सशक्त उदाहरण—कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा संस्तुत **'सार्वजनिक शिक्षा की समान विद्यालय प्रणाली'** (Common School System of Public Education) की स्थापना और **'पड़ोसी विद्यालय योजना'** (Neighbourhood School Plan) है जिसकी शिक्षा के निजीकरण को बढ़ाने वाली ताकतों के चलते निरन्तर अनदेखी हुई है। इसी का परिणाम है कि आज के इस देश में बहुस्तरीय (Multi-level) स्कूली शिक्षा कायम है। अमीरों के बच्चों के लिए अलग प्रकार के विद्यालय और गरीब बच्चों के लिए अलग प्रकार के जबकि इन विद्यालयों की शिक्षा-सुविधाओं और गुणवत्ता स्तर में जमीन-आसमान का अन्तर है। फिर प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण जैसे लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है।

इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण शिक्षा के क्षेत्र में कारपोरेट जगत् की निरंकुशता, राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता समुचित जवाबदेही का अभाव आदि भी है जिसके चलते प्राथमिक शिक्षा की तरह ही माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की भी चाल प्रभावित हो रही है।

अतः दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा जो बहुसंख्य नागरिकों के लिए शिक्षाक्रम में 'टर्मिनस' का कार्य करती है, को यथाशीघ्र सर्वसुलभ और समान रूप से समावेशी गुणवत्तापरक बनाना व्यक्ति, समाज और देश के हित में है। अतः इसे हमारा राष्ट्रीय दायित्व समझते हुए इसके सार्वजनीकरण हेतु हमें सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।